संख्या 286 /XXVII(7)/सा0नि0/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0--सा0नि0)अनु0–07

देहरादून:दिनांक:30दिसम्बर,2011

विषयः–अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानांतरित हुए पेंशनर्स की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान के स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स (09–11–2000 के पूर्व) जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे तथा ऐसे पेंशनर्स जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 09 नवम्बर,2000 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य के स्थानांतरित किये गये हैं, के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के संबंध में चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्याः 3531/5–6–04–294/6 दिनांक 07 दिसम्बर,2004 द्वारा अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी के उत्तराखण्ड राज्य में स्थाई रूप से निवास कर रहें है, के स्वंय तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत दावों के तकनीकी परीक्षण हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली एवं सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को अधिकृत किया गया है तथा इसी आधार पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 503/XXVII(7)/2010 दिनांक 26 मई,2010 उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशनर्स (09–11–2000 के पूर्व) जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहें है तथा ऐसे पेंशनर्स जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 09–11–2000 के बाद उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा इस राज्य के लिए स्थानांतरित किये गये है कि पेंशन, अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भुगतान अन्य राज्यों के पेंशनर्स की भांति अन्तर्राज्जीय समायोजन हेतु विहित प्रकिया के अनुसार किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है।

उत्तर प्रदेश राज्य, वित्त(सामान्य) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्याःसा0–3–661/दस–2011 दिनांक 04 अगस्त,2011 के साथ संलग्न चिकित्सा अनुभाग–6 के शासनादेश संख्याः1892/5–6–11–294/ 96 टी0सी0 दिनांक 02 अगस्त,2011 द्वारा चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्याः3531/5–6–04–294/6 दिनांक 07 दिसम्बर,2004 की व्यवस्था को समाप्त करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स जो उत्तराखण्ड राज्य में स्थायी रूप से निवास कर रहे है, के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का निस्तारण उत्तराखण्ड राज्य के विभागाध्यक्ष द्वारा किये जाने पर सहमति दी गयी है।

2– उत्तर प्रदेश राज्य दी गयी उक्त सहमति के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स (09–11–2000 के पूर्व) जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे तथा ऐसे पेंशनर्स जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 09 नवम्बर,2000 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य के स्थानांतरित किये गये हैं, तथा जो उत्तराखण्ड राज्य में स्थायी रूप से निवास कर रहें है, के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों का निस्तारण राज्य के विभागाध्यक्षों द्वारा नियमानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– राज्य के कोषागारों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का भुगतान अन्तराज्जीय समायोजन के माध्यम से किया जाएगा।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।

संख्या-286 (I)/XXVII (7) 09(II)/ 2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2-महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।

4- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

5- सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड देहरादून।

6- सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड देहरादून।

7- महानिबन्धक, उच्च न्ययालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

8- स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड नई दिल्ली।

9- निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

10- क्षत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन गढ़वाल/कुमाऊं।

11-रीजनल प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देरादून।

12- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

13- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

14- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की।

15- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड एकक देहरादून।

16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त